HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी को बहला–फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 35,000/–रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 08-01-2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 23.09-2017 को अभियुक्त सलमान पुत्र औसाफ अली निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 363/2017 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.12.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 08-01-2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 35,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह एवं पैरोकार है0का0 रघुवीर सिंह व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।